उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022

लखनऊ : दिनाँक : 04 नवम्बर, 2022

कार्यालय - ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनाँक 07 जून, 2022 द्वारा जारी किये गये हैं ।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप का प्रस्तर-2(10) निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित है ।

3- उक्त के सम्बन्ध में कई प्रशासकीय विभागों द्वारा यह मांग की जा रही है कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कम लागत वाली परियोजनाओं में कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराये जाने की शर्त के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है ।

4- अतः सम्यक् विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त के निराकरण हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस- 2022-231/2022, दिनाँक 07 जून, 2022 के प्रस्तर 2(10)(ख) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं -

प्रस्तर 2(10)(ख)	विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(अ)	नये निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी । निर्माण कार्य की अनुवर्ती किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी । प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो ।	नये निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी । निर्माण कार्य की अनुवर्ती किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी । प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो ।
(ब)	यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 2.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 10.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो समान किश्तों में स्वीकृत की जाये । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि	यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 2.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 10.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो समान किश्तों में स्वीकृत की जाये । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।	के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।
(स)	यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि चार किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की होगी । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तथा चौथी किश्त, पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो-दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।	यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि चार किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की होगी । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तथा चौथी किश्त, पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

5— वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनाँक 07 जून, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 23/2022/बी-1-749(1)/दस-2022-231/2022, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
2 **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।**
3 **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4 **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5 **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6 **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
7 **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।**
8 **निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।**
9 **समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
10 **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
11 **विभागीय आदेश पत्रावली ।**

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।